वित्त निर्देश–58/2012

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय–रायपुर

क्रमांक 247/एफ–1000709/12/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2012

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   छत्तीसगढ़ शासन
   लोक निर्माण/जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर ।
2. समस्त प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/लोक निर्माण/जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी /पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
   छत्तीसगढ़ ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त
   छत्तीसगढ़ ।
4. समस्त जिलाध्यक्ष
   छत्तीसगढ़ ।

विषयः–वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 में कार्य विभागों के प्रत्यायोजनों का संशोधन ।
संदर्भः–वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 317/आर–99/वित्त/नियम/चार/2007 दिनांक 12.11. 2007 ।

वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 में कार्य विभागों को दिये गये अधिकारों में संलग्न प्रपत्र अनुसार अनुक्रमांक 26 एवं 39 के प्रत्यायोजनों को पुनःस्थापित किया जाता है । इस संशोधन के अतिरिक्त पूर्व में सौपें गये अधिकार यथावत रहेंगे ।

2/ संबंधित विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों/शाखाओं को अपने स्तर पर सूचित करें ।

3/ यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

संलग्न–प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(**एस.के.चक्रवर्ती**)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 248/एफ-1000709/12/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2012

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

WORKS DEPARTMENT

(Public Works Department, Water Resource Department, Public Health Engineering Department)

S. No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of delegation	Condition
26	To accord technical sanction to the estimate for purchase of plant & machinery, including heavy earthmoving machinery and drilling rigs	Chief Engineer	Full Powers	
		Superintending Engineer	Up to Rs.80 lakhs	
39	To accept tenders for Works: - (a) Except for lump sum tenders and purchases (not covered under store purchase rules)	Govt. level Committee	Full powers	
		Engineer-in-Chief	Up to Rs.10 Crores	
		Chief Engineer	Up to Rs.05 Crores	
		Superientending Engineer	Up to Rs. 02 Crores	Provided that the cost of tender is not more than 15% above current schedule of rates. For rates higher than this prior approval of the competent higher authority shall be required.
		Executive Engineer	Up to Rs. 80 lakhs per work	Provided that the cost of tender is not more than 10% above current schedule of rates.

	(b) Lump sum tenders	Govt. level Committee	Full Powers	
		Engineer-in-Chief level committee	Up to Rs.05 Crores	E-in-C level committee shall consist of - 1.Engineer-in chief -chairman 2.Chief Engineer 3.Superiending Engineer-Posted in Engineer-in chief office 4. Addl. director/Joint director (C.G. State Finance Service) posted in the E-in-C office
		Chief Engineer level committee	Up to Rs.02 Crores	C E level committee shall consist of - 1. Chief Engineer -chairman 2. Senior most Superinding Engineer 3. Finance /Accounts Officer of the C E office
		Superintending Engineer level committee	Up to Rs.01 Crore	S E level committee shall consist of - 1. Superintending Engineer - chairman 2. Superintending Engineer of other Zone 3. Executive Engineer related to the work concerned 4. Divisional Accountant of concernd Zone.

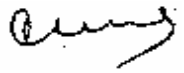

Deputy Secretary
Finance Department